खबर संक्षेप

दिल्ली दंगे : हत्या के आरोपी को मिली जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले के आरोपी की जमानत बुधवार को मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपी को इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने पिछले साल साम्प्रदायिक दंगों के दौरान 24 वर्षीय सलमान की हत्या के आरोपी इरशाद की जमानत याचिका मंजूर कर ली। यहां शिव विहार में दंगों के दौरान सलमान के सिर पर 24 फरवरी को गोली लगी थी। पुलिस ने कहा कि इरशाद अपराध स्थल पर मौजूद था और दंगा कर रही भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। आरोपी ने इस आरोप से इंकार किया है। न्यायाधीश ने इरशाद को जमानत देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष प्रथमदृष्टया यह साबित करने में नाकाम रहा कि उसकी भूमिका सह आरोपी मोहम्मद फुरकान की तरह नहीं है, जिसे 15 जून, 2021 को जमानत दी गई थी।

घर छोड़कर गई किशोरी वापस परिवार से मिलवाई

नई दिल्ली। पढ़ाई को लेकर अपनी मां की लगातार डांट से परेशान होकर 12 वर्षीय लड़की दक्षिण दिल्ली के अपने घर से चली गई लेकिन दिल्ली पुलिस की मदद से वह अपने परिवार से मिल गई।पुलिस के मुताबिक, नाबालिक लड़की दिल्ली से एक ट्रेन से उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंच गई। मामला सामने तब आया जब लड़की की मां ने 18 जून को संगम विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी का कथित रूप से अपहरण कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के पास मोबाइल फोन था लेकिन फोन बंद है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले दिन लड़की की मां ने सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) जय सिंह को बताया कि उन्हें शांति देवी नाम की महिला ने फोन करके बताया कि उन्हें उनकी बेटी इटावा रेलवे स्टेशन पर मिली है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि हमारी टीम इटावा पहुंच गई लेकिन महिला का फोन बंद आ रहा था। तकनीकी सहायता और स्थानीय लोगों की मदद से हमारी टीम ने शांति देवी का पता लगा लिया।

महापौर ने की डीयू प्रशासन के साथ बैठक

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंध में विभिन्न नागरिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निदेशक दक्षिणी दिल्ली कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रो सुमन कुंडू के साथ बैठक की। बैठक के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ विकास गुप्ता और प्रो. केपी सिंह भी उपस्थित थे।यहां महापौर ने बताया कि बैठक के दौरान दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने के लिए कूड़ा निष्पादित करने के लिए एक पोर्टेबल कॉम्पेक्टर की स्थापना और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सहयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना।

ऑन डिमांड हथियार सप्लाई करने वाले सरगना समेत दो अरेस्ट

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में ऑन डिमांड हथियार सप्लाई करने वाले गैंग के सरगना समेत दो आरोपियों को पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके नाम फिरोजाबाद, टुंडला निवासी आदित्य उर्फ आदी और गुरुग्राम निवासी मोहित नागर उर्फ जयकाल बताया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो रिवाल्वर और चार कारतूस बरामद किए हैं। गैंग सरगना आदित्य ने बताया कि अब तक 100 से अधिक हथियारों की सप्लाई कर चुका है। पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने बताया कि पिछले दिनों जिले के एटीएस की टीम ने तीन हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर 10 हथियार व 42 कारतूस बरामद किए थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गैंग का सरगना टुंडला निवासी आदित्य है। इसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी को फिरोजाबाद स्थित टुंडला से गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से एक रिवाल्वर व दो कारतूस बरामद हुये।

बाद में इसके दूसरे साथी मोहित नागर को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से भी एक रिवाल्वर व दो कारतूस बरामद हुए। आरोपी आदित्य ने बताया कि वह पिछले करीब सात सालों से हथियारों का धंधा कर रहा है। ऑर्डर मिलने पर आदित्य फिरोजाबाद के बलराम शर्मा उर्फ बल्लन को हथियार बनाने के लिए कहता है। इसके बाद हथियारों को तैयार किया जाता था। हथियार सप्लाई करने के लिए आदित्य ने कुछ गुर्गों को भी काम पर रखा हुआ था।

खास बातें

- आरोपियों के पास से दो रिवाल्वर और चार कारतूस बरामद
- आदित्य को फिरोजाबाद और दूसरे साथी मोहित को गुरुग्राम से किया गिरफ्तार

पहले गिरफ्तार हुये तीन से बरामद हुये थे कई हथियार

इससे पूर्व पुलिस गैंग के तीन सदस्यों संतोष, ओम शरण उर्फ नन्हे और बंसी बैस को गिरफ्तार किया था। पुलिस गैंग के पास से कुल छह रिवाल्वर, एक पिस्टल, पांच तमंचे और 46 कारतूस बरामद किए थे।

हरियाणा पुलिस ने रखा हुआ था पचास हजार का इनाम

काला जठेड़ी-लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इनामी बदमाश गिरफ्तार

स्पेशल सेल ने हरियाणा पुलिस के पचास हजार रुपये के इनामी काला जठेड़ी-लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश को गिरफ्तार किया है। 23 वर्षीय आरोपी नितीश उर्फ प्रधान गांव कानौदा, जिला झज्जर, हरियाणा का रहने वाला है। वह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में कई हत्या केस में शामिल रहा है। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल भी बरामद किया है। इसके अलावा एक कपड़े का टुकड़ा भी बदमाश से मिला है जिस पर काला जठेड़ी – गोल्डी बरार ग्रुप लिखा हुआ है। यह कपड़े का टुकड़ा पंजाब के कोटकापुरा में हुये शूटआउट के बाद क्राइम सीन पर फेंका जाना था ताकि पीड़ित की दहशत और बढ़ जाये।

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

पुलिस के अनुसार नितीश प्रधान ने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से पूरी की थी। इसके बाद डीयू के पत्राचार से ग्रेजुएशन करने के बाद बहादुरगढ़ में कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। कंप्यूटर सीखने के दौरान की उसकी दोस्ती दावला गांव के रहने वाले कपिल से हुई थी। उसने नितीश को नरेश सेठी गैंग में शामिल होने के लिये प्रेरित किया। अपने गैंग के गुर्गों के साथ मिलकर पुलिस कस्टडी से भागने की योजना बना रहा था। नरेश ने पुलिस कस्टडी से भागने के बाद संदीप उर्फ काला जठेड़ी को पुलिस कस्टडी से भगाया था। इसके बाद दोनों की दोस्ती काफी गाढ़ी हो गई थी। बाद में दोनों ने काला राणा और लॉरेंस बिश्नोई जैसे बदमाशों से भी हाथ मिला लिया था। हाल में गैंग के टॉप बदमाशों के अरेस्ट होने पर गैंग की कमान नितीश के हाथ में आ गई थी। वह अपने आकाओं के इशारे पर वारदातों को अंजाम दे रहा था। 23 जून को इसके आईएसबीटी कश्मीरी गेट पहुंचने की सूचना सेल को मिली थी। पुलिस ने एक ट्रेप लगाकर नितीश को पिस्टल के साथ दबोच लिया। पुलिस को इसके बीस आपराधिक मामलों में शामिल होने का पता चला है।

खास बातें

- दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में कई हत्या केस में रहा चुका है शामिल
- एक पिस्टल बरामद

पंजाब में वारदात के बाद पहुंचा था दिल्ली

डीसीपी मनीषी चंद्रा के अनुसार पंजाब के कोटकापुरा में दिनदहाड़े हुये दो गैंग के बीच शूटआउट के बाद नितीश ने दिल्ली का रूख किया था। पंजाब में 22 जून को हुये शूटआउट में इसका एक साथी ऑन द स्पॉट मारा गया था।

मैट्रीमोनियल साइट के जरिये ठगी करने वाला युवक अरेस्ट

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

वसंत कुंज साउथ पुलिस ने मैट्रीमोनियल साइट के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 120 ग्राम की सोने की चेन व आइफोन बरामद हुआ है। आरोपी का नाम साहिल अरोड़ा बताया गया है। पुलिस के अनुसार साहिल अरोड़ा ने खुद को मैट्रीमोनियल साइट पर अमीर पंजाबी युवक के तौर पर रजिस्टर किया हुआ था। वह वेबसाइट पर शादी की इच्छुक लड़की के परिवार से दोस्ती कर उनसे महंगे गिफ्ट लेकर फरार हो जाता था।

पुलिस को 16 जून को एक परिवार ने शिकायत दी थी कि साहिल ने उनके उनसे दो आइफोन और करीब 6.5 लाख रुपये की कीमत की सोने की चेन ली थी। शिकायत के आधार पर पुलिस टीम ने इस ठग को उत्तम नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी शख्स इसी प्रकार के तीन अन्य मामलों में भी शामिल रहा है।

तीन साल से फरार भगौड़ा बदमाश मेरठ से पकड़ा

नई दिल्ली। फतेहपुरबेरी पुलिस ने तीन साल से फरार चल रहे एक एक भगौड़े बदमाश को मेरठ से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ वाहन चोरी के 15 मामले दर्ज थे। जामिया नगर थाने के वाहन चोरी केस में साकेत कोर्ट ने इसे भगौड़ा घोषित कर रखा था। गिरफ्तार भगौड़े का नाम मौसम खानी मोहल्ला किठौर, मेरठ, यूपी निवासी सलीम उर्फ कालिया (26) है। 22 जून को हेड कांस्टेबल संदीप और कांस्टेबल अशोक को सलीम के बारे में पता चला था। एक टीम मेरठ भेजी गई जहां से आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया।

बाइक से गिरे युवक की मदद के दौरान उड़ाई चेन

- आरोपी महिला को पुलिस ने किया अरेस्ट
- वसंत कुंज साउथ इलाके का मामला

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

वसंत कुंज साउथ इलाके में मदद के बहाने एक युवक की सोने की चेन उड़ाने वाली महिला को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी महिला का नाम अंजिता बताया गया है। वह महिपालपुर इलाके की रहने वाली है। पुलिस ने आरोपी को उसके इलाके से ही अरेस्ट किया है।

पुलिस के अनुसार के ब्लॉक महिपालपुर निवासी शमशेर सिंह ने मामले में पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि 12 जून की रात साढ़े 8 बजे जब वह वसंत कुंज साउथ इलाके से गुजर रहा था तो तेज हवा की वजह से बाइक से गिर गया। कुछ लोगों ने उसे उठाने में मदद की। इस बीच मौका देख किसी ने उसकी सोने की चेन उड़ा ली थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी अजय नेगी की टीम ने घटना के वक्त मौके से गुजरे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई।

टेक्निकल सर्विलांस की भी मदद ली गई। 22 जून को पुलिस ने एक सूचना पर महिपालपुर में ट्रैप लगा आरोपी महिला को पकड़ लिया। 32 साल की इस महिला ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। महिला की निशानदेही पर उसके घर से सोने की चेन बरामद कर ली गई है।

सीबीआई ऑफिसर बनकर चीटिंग करने वाले दो अरेस्ट

राजस्थान से दिल्ली आए शख्स को लगाई थी 50 हजार रुपयों की चपत

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

सीबीआई ऑफिसर बनकर चीटिंग करने वाले दो लोगों को दिल्ली कैंट पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से पीड़ित से ठगे गए रुपयों में से 13 हजार रुपए, आधार कार्ड और कुछ अन्य कागजात बरामद हुये हैं। आरोपियों के नाम संजीव गिल और रितेश है। इनसे वारदात के समय प्रयोग हुआ ऑटो भी बरामद किया गया है।

पुलिस के मुताबिक 21 जून को मूलरूप से भरतपुर, राजस्थान के रहने वाले जफरुद्दीन ने दिल्ली कैंट थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि उसके 50 हजार रुपए चोरी हुए है। वारदात ऑटो सवार तीन लोगों ने अंजाम दी थी। आरोपियों ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताया था। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह 19 जून को जामा मस्जिद से कपड़े खरीदने के लिए राजस्थान से दिल्ली आया था। उसने धौला कुंआ से ऑटो लिया, जिसमें एक शख्स पहले से मौजूद था। कुछ दूर चलने पर एक व्यक्ति और ऑटो में सवार हो गया। उसने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर ऑटो ड्राइवर से डीएल और आरसी मांगी। पीड़ित का भी सामान चेक किया। मौका देख उसने बैग में रखे पचास हजार रुपए उड़ा लिये। मामले में पीड़ित के बयान पर पुलिस ने चीटिंग का केस दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने ऑटो का नंबर ट्रेस कर लिया। पुलिस ऑटो के मालिक के घर पश्चिम विहार पहुंच गई। जिसने बताया वह साल 2018 में इस ऑटो को उत्तम नगर के एक डीलर को बेच चुका है। डीलर ने पुलिस को बताया ऑटो रितेश कुमार रेंट पर चलाता है, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। वह उत्तम नगर इलाके का रहने वाला है। इससे हुई पूछताछ के बाद उसके साथी संजीव गिल को अरेस्ट किया गया। 58 साल का संजीव सीतापुरी इलाके में रहता है। उसकी फैमिली कनाडा में रहती हैं। वह इस तरह के सात मामले में पहले भी शामिल रहा है। वहीं 36 साल के रितेश पर भी इस तरह के दो केस मिले हैं।

जल्द पैसा कमाने के लिए सेल्समैन करने लगा वारदात

हरिभूमि न्यूज. नई दिल्ली

साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एसटीएफ ने चोरी और झपटमारी के मोबाइल सस्ते दाम नी बेचने वाले दो बदमाशों को अरेस्ट किया है। इनके पास से 10 फोन बरामद हुये हैं। बदमाशों के नाम विनीत सोलंकी और रहीसू अहमद है। इनके पकड़े जाने से सात मामले सुलझाने का दावा किया जा रहा है। पुलिस ने इन्हें पुल प्रहलादपुर इलाके से दबोचा। इनके पास से बरामद फोन मालवीय नगर, महरौली, साकेत आदि इलाके से चुराए व झपटे गए थे। गोविन्दपुरी इलाके के रहने वाले विनीत सोलंकी ने बताया वह एक कंपनी का सेल्समैन है।

शराब पीने का आदी है। वह जल्द पैसा कमाने के लिए चोरी और स्नैचिंग करने लगा था। बाद में फोन रहीसु अहमद को बेच देता था। विनीत के ऊपर चोरी के नौ केस मिले हैं।

माई मनी सिक्योरिटीज लि.
पंजीकृत कार्यालय : 10–ए, अंडरहिल लेन, सिविल लाइन्स, दिल्ली–54
फोन : 011-23924241, 23930655
CIN : L67120DL1992PLC047890
ई–मेल आईडी : mymoneyviews@outlook.com

सूचना

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 30 जून, 2021 को इसके पंजीकृत कार्यालय 10–ए, अंडर हिल लेन, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के एकल लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता./–
संजय सेठ
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन: 00350518
पता: 10–ए, अंडर हिल लेन, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 22.06.2021

पौने दो लाख कीमत की पिस्टल बरामद, बेचने की फिराक में घूम रहे थे आरोपी

शूटर से एयर पिस्टल और मोबाइल ठगने वाले दो गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

उत्तरी जिले की पुलिस ने जयपुर से प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर लौटे एक शूटर से सिविल लाइंस इलाके में महंगी एयर पिस्टल व मोबाइल ठगने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी वारदात के करीब तीन माह बाद पुलिस द्वारा की गई है। आरोपियों के नाम बवाना निवासी मोहम्मद सुहाग (21) और मुखतार (30) बताये गये हैं। इनसे पौने दो लाख कीमत की पिस्टल बरामद कर ली गई है। आरोपी उसे बेचने की फिराक में घूम रहे थे। हालांकि वारदात को अंजाम देने वाले दोनों मुख्य आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर उन दोनों की तलाश कर रही है। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त अंटो अल्फोंस ने बताया कि 24 मार्च 2021 की रात को गांव बझेड़ा, अनूपशहर, बुलंदशहर निवासी गौरव शर्मा (21) जयपुर से एक प्रतियोगिता में भाग लेकर वापस अपने घर लौट रहा था। गौरव शूटिंग का खिलाड़ी है। प्रतियोगिता में उसकी 25वीं रैंक आई थी। दिल्ली में वह बस से कश्मीरी गेट उतरा था। अभी वह दूसरी बस पकड़ने का प्रयास कर ही रहा था कि उसे दो युवक मिल गए। आरोपियों ने बातचीत में उलझाकर पीड़ित का बैग और मोबाइल ठग लिया।

वह उसे नोटों की गड्डियां थमाकर रफूचक्कर हो गए। पीड़ित ने नोटों की गड्डियों को देखा तो वह रद्दी निकली। गौरव की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बवाना में एक युवक पिस्टल बेचने की फिराक में घूम रहा है। खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम ने आरोपी सुहाग उर्फ साहिल को बवाना से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से गौरव की पिस्टल बरामद हो गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उसने अपना अपराध कबूल लिया।

पूछताछ के बाद पकड़ा गया दूसरा आरोपी

आरोपी ने बताया कि उसके भाई इरफान उर्फ चेतक ने उसे पिस्टल बेचने के लिए दी थी। इरफान ने मो. सुल्तान उर्फ कालिया के साथ मिलकर गौरव से पिस्टल व मोबाइल ठगी थी। बाद में मोबाइल को मुखतार को बेच दिया था। पुलिस ने मुखतार को भी गिरफ्तार कर उससे मोबाइल बरामद कर लिया। मुखतार पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है।

फॉर्च्यून इंटरनेशनल लिमिटेड
CIN : L52324DL1981PLC012033
पंजी. कार्यालय : जी-4, कम्यूनिटी सेंटर, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028
Tel: 011-25774212
Email: rekha.srivastava2016@gmail.com
Website: www.fortuneinternational.in

सूचना

सेबी सरकुलर दिनांक 29 अप्रैल 2021, सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/P/CIR/2021/556 के साथ पठित सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं डिस्क्लोजर आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 29, 33 और 47 के तहत, एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु कम्पनी के स्टैंडअलोन एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य बातों के साथ साथ विचार करने और अनुमोदन करने के लिये कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 30 जून 2021 को अप. 3.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी। उन निदेशकों को ऑडियो-विजुअल सुविधा भी प्रदान की जाएगी जो महामारी की परिस्थिति की वजह से व्यक्तिशः बैठक में उपस्थित होने के लिये सक्षम नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी पुष्टि करती है कि कम्पनी की आंतरिक आचार संहिता के खण्ड V के अनुरूप कम्पनी की सिक्योरिटीज में डीलिंग हेतु ट्रेडिंग विंडो कम्पनी की उक्त संहिता के तहत आने वाले पदनामित व्यक्तियों हेतु बृहस्पतिवार, 24 जून 2021 से बुधवार, 30 जून, 2021 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेगी।

निवेशक अधिक विवरण हेतु कम्पनी की वेबसाइट (www.fortuneinternational.in) तथा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bseindia.com) पर पधार सकते हैं।

कृते फॉर्च्यून इंटरनेशनल लिमिटेड
हस्ता/–
निवेदन भारद्वाज
प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00040191

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.06.2021